# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42 ] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2014-आश्विन 25, शके 1936


## भाग 3 ( 1 )

### विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

### नाम परिवर्तन

श्रीमती इंदुमती धर्मपत्नि श्री प्रदीप कुमार ओहदार निवासी सुभाष वार्ड, कटनी शपथपूर्वक यह घोषणा करती हूँ कि मेरे पुत्र प्रवीण ओहदार की कक्षा दसवीं की अंकसूची एवं शाला के अभिलेखों में त्रुटिवश उनका नाम इंदु ओहदार दर्ज हो गया है जबकि उनका वास्तविक नाम इंदुमती ओहदार है. इसलिए उन्हें उनके वास्तविक नाम इंदुमती ओहदार के रूप में ही पढ़ा एवं जाना जाए.

पुराना नाम :
**( इंदु ओहदार )**

नया नाम :
**( इंदुमती ओहदार )**

(376-बी.)

### CHANGE OF NAME

I, Rajni Lomash W/o Shri Arvind Lomash R/o 337, Tansen Nagar, Gwalior also called by name of Nisha Lomash at home. I here by declare from today onwards my name will be Rajni Lomash on every records.

Old Name :
**( NISHA LOMASH)**

New Name :
**(RAJNI LOMASH)**

(374-B.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शपथकर्ता सुनीता जामौर पुत्री श्री बाबूराम जामौर, शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि शादी पूर्व शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम सुनीता जामौर था जो कि अब शादी बाद श्रीमती सुनीता पत्नी श्री दिनेश कुमार हो गया है. अतः अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम श्रीमती सुनीता के नाम से ही जाना-पहचाना जावे. समस्त सूचित हों.

पुराना नाम :
**( सुनीता जामौर )**
पुत्री श्री बाबूराम जामौर

नया नाम :
**( सुनीता )**
पत्नी श्री दिनेश कुमार
ग्राम जाजेपुरा पोस्ट फूप,
जिला भिण्ड (मध्यप्रदेश).

(378-बी.)

## नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मैं कुमारी संध्या भवालकर पिता श्री शांताराम भवालकर के नाम से जानी जाती थी. मेरा विवाह दिनांक 24 मई, 1991 को श्री वसन्त तारे पिता श्री शंकर राव तारे के साथ सम्पन्न हो चुका है. सामाजिक रीतिरिवाजों के अनुसार विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती रेणुका तारे हो चुका है. सभी शासकीय, अर्धशासकीय, बैंक आदि संस्थानों में, मैं मेरे विवाह पश्चात् नाम से ही व्यवहार कर रही हूँ. अतः भविष्य में मुझे मेरे विवाह पश्चात् के नाम श्रीमती रेणुका तारे के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

**( कुमारी संध्या भवालकर )**

नया नाम :

**( रेणुका तारे )**

फ्लेट नम्बर 308, जगन्नाथ अपार्टमेंट,
115-116 A, स्नेहलता गंज, अग्निबाण,
प्रेस के पीछे, भण्डारी मिल तिराहा, इन्दौर 452003.

(379-बी.)

## नाम परिवर्तन

मेरे नाम निशा दुबे, प्रेमलता एवं संगीता सिंह जो कि एस. बी. आई. खाते में है. ये तीनों मेरे ही नाम हैं भविष्य में मुझे केवल श्रीमती निशा दुबे पत्नी श्री राजु दुबे नाम से ही जाना जाए.

पुराना नाम :

**( प्रेमलता/संगीता सिंह )**

नया नाम :

**( निशा दुबे )**

टी-1, मोहिनी अपार्टमेन्ट, 149-सी इन्द्रपुरी, भोपाल.

(383-बी.)

## नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी से पूर्व में मेरा नाम कुमारी श्रुति स्वामी पुत्री नंद किशोर स्वामी था, जो मेरे समस्त शिक्षा सम्बन्धी दस्तावेज आदि में लिखा है तथा शादी के पश्चात् मेरा नाम श्रीमती श्रुति राव पत्नी श्री राहुल राव हो गया है. अब मैं अपने नये नाम श्रीमती श्रुति राव के नाम से जानी-पहचानी व पुकारी जाऊंगी.

पुराना नाम :

**( कुमारी श्रुति स्वामी )**

नया नाम :

**( श्रुति राव )**

पत्नी-श्री राहुल राव
निवासी-मकान, नं. 11, आराधना नगर कोटरा,
सुल्तानाबाद, भोपाल.

(380-बी.)

## नाम परिवर्तन

मैं, मनोज कुमार पुत्र श्री सतीश कुमार, आयु 24 वर्ष, निवासी-जे. आर. एम. आई. जी.-82, ऐशबाग कॉलोनी, भोपाल मध्यप्रदेश का पूर्व नाम " मनोज कुमार " था. जिसे मेरे द्वारा बदलकर "मोहित मंधवानी" किया जा रहा है, भविष्य में इसी नाम "मोहित मंधवानी आत्मज सतीश कुमार" से जाना-पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय, अशासकीय विभागों में भी मेरा नया नाम ही मान्य होगा.

पुराना नाम :

**( मनोज कुमार )**

नया नाम :

**( मोहित मंधवानी )**

(377-बी.)

## आम सूचना

मैं, अजय पाटिल पुत्र श्री नामदेवराव पाटिल, निवासी एफ-160, श्रृष्टि अपार्टमेंट हरीशंकर पुरम कॉलोनी, ग्वालियर के पूर्वज अडूला बाजार, तालूका दर्यापुर, जिला अमरावती महाराष्ट्र का मूल निवासी हूँ मेरे दादा स्व. श्री गणपतराव अबूज थे एवं मेरे दादा जी को अबूज पाटिल नाम से जाना जाता था. इसलिए मेरे पिता श्री नामदेवराव पाटिल अबूज के नाम से जाने जाते हैं.

मेरा सही नाम अजय पाटिल (अबूज) है लेकिन मेरे द्वारा मेरा नाम अजय पाटिल लिखा जाता है इसलिए मैं व मेरे बच्चे इसी नाम से जाने जावेंगे.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अजय पाटिल (अबूज) अजय पाटिल के नाम से जाना जाऊँगा.

पुराना नाम :

**अजय पाटिल ( अबूज )**

नया नाम :

**( अजय पाटिल )**

निवासी-एफ-160, श्रृष्टि अपार्टमेन्ट,
हरीशंकर पुरम कॉलोनी, ग्वालियर.

(381-बी.)

## जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, प्रार्थी फर्म मैसर्स जय कैला माँ कन्स्ट्रक्शन कम्पनी पॉचौ कॉलोनी, रेस्ट हाउस के पास, बीरपुर, जिला श्योपुर (मध्यप्रदेश) ने 15/05/2014 को अपनी साझेदारी फर्म में संसोधन कर श्री बृजेन्द्र पाल जादौन पुत्र श्री पदम पाल जादौन, निवासी-पॉचौ कॉलोनी, रेस्ट हाउस के पास, बीरपुर, जिला श्योपुर (मध्यप्रदेश) को फर्म से हटा दिया गया है. भविष्य में फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेन-देन नहीं रहेगा.

**Ku. JAYA SINGH,**
मैसर्स-जय कैला माँ कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
पॉचौ कॉलोनी, रेस्ट हाउस के पास,
बीरपुर, जिला श्योपुर (मध्यप्रदेश).

(373-बी.)

---

## सूचना

सूचित किया जाता है कि मैसर्स प्राइम कन्स्ट्रक्शन शाहपुरा, भोपाल जिसमें पूर्ण भागीदार श्री पुरूषोत्तम टहलयानी उम्र 46, रिंग रोड नागपुर एवं श्री रमेश वृंदावनी आत्मज श्री बी. डी. वृंदावनी सुभाष नगर, नागपुर जो कि बराबर के हिस्सेदार हैं फर्म में नयी भागीदार दिनांक 01 अप्रैल, 2008 को श्रीमती जया पुरूषोत्तम टहलयानी उम्र 42, निवासी रिंग रोड, नागपुर, सम्मिलित हो रही हैं उपरोक्त फर्म में तीन भागीदारी हो गये हैं फर्म का रजि. क्रमांक 21/1999/2000 है.

**शैलेश साहु,**
(कर सलाहकार),
शैलेश साहु & एसोसिएट,
प्लाट नं. 21, जोन 1 एम. पी. नगर, भोपाल (म. प्र.).

(375-बी.)

---

## जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, प्रार्थी फर्म मैसर्स होतम सिंह कन्स्ट्रक्शन कम्पनी ए. एम.-98, दीनदयाल नगर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) ने अपनी साझेदारी फर्म में संसोधन कर नवीन साझेदार श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री पुलन्दर सिंह, निवासी-39, यमुना नगर, ठाठीपुर ग्वालियर (मध्यप्रदेश) को अपनी फर्म में दिनांक 29 सितम्बर, 2014 को सम्मिलित किया गया है और साथ ही श्री देवेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र श्री नवल सिंह गुर्जर, श्री हितेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह यादव, श्री उमेश सिंह गुर्जर पुत्र श्री केशव सिंह गुर्जर एवं श्री जानू सिंह गुर्जर पुत्र श्री सुरज सिंह गुर्जर, निवासी ग्वालियर (मध्यप्रदेश) को फर्म से हटा दिया गया है भविष्य में फर्म से सम्बन्धित सभी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

**नरेन्द्र सिंह गुर्जर,**
मैसर्स-होतम सिंह कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
ए. एम.-98, दीनदयाल नगर,
ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

(382-बी.)

---

## NOTICE

### U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT. 1932

Notice is hereby given that the firm " M/s RAJORA INFRA HOMES " of Bhopal Vide Reg. No. 01/01/01/00066/2011, Dated 11 May, 2011 has undergone the following changes:-

1. That Smt. Heera Devi W/o Shri Ganesh Kumar, Shri Ganesh Kumar S/o Shri Mahaveera Kumar, Smt. Anita Sinha W/o Shri Ashok Kumar, Smt. Saroj Hada W/o L. K. Hada, Shri Manoj Mohan Namdeo S/o Shri Brijendra Lal Namdeo, Smt. Manisha Namdeo W/o Shri Manoj Mohan Namdeo, Smt. Shobha Devi W/o Shri Shiv Charan Das, Smt. Bhagwati Pandey W/o Shri Vashishtha Narayan Pandey, Shri Sushil Kumar Singh S/o Lt. Shri Mahaveer Singh and Smt. Rekha Rana W/o Shri Devendra Rana had expressed desire to retire and have retired from the Partnership firm w.e.f. 29/03/2011.

2. That Shri Infanta Disilva S/o Shri Mathew Disilva and Shri Satendra Singh S/o Lt. Shri Shivraj Singh had Joined the Partnership firm w.e.f. 30/03/2013.

3. That Smt. Saroj Hada W/o Shri S. K. Hada, Shri Sushil Kumar Singh S/o Lt. Shri Mahaveer Singh, Shri Ganesh Kumar S/o Shri Mahavir Kumar, Smt. Heera Devi W/o Shri Ganesh Kumar, Smt. Shobha Devi W/o Shri Shiv Charan Das, Smt. Bhagwati Pandey W/o Shri V. N. Pandey, Smt. Anita Sinha W/o Shri Ashok Kumar, Smt. Rekha Rana W/o Shri Devendra Rana, Shri Manoj Mohan Namdeo S/o Shri Brij Lal Namdeo and Smt. Manisha Namdeo W/o Shri Manoj Mohan Namdeo had Joined the Partnership firm w.e.f. 20/07/2014.

**Ashutosh Singh,**
" M/s RAJORA INFRA HOMES ",
A-01, Shiv Palace, Rajora Farm House,
Khajuri Kalan, Piplani, BHEL, Bhopal.

(384-B.)

# विविध

## न्यायालयों की सूचनाएं

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, बैरागढ़ वृत्त, जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर, 2014/09 अक्टूबर, 2014

क्र. 10/बी-113/बैरा. वृत्त/13.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) के अन्तर्गत]

**समक्ष :** रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

जैसाकि श्री प्रकाश वीधानी आ. स्व. श्री तोलाराम वीधानी, निवासी 79/1, आरोग्य केन्द्र के पास टेकरी रोड बैरागढ़, भोपाल द्वारा पूज्य संत बाबा सुखरामदास मंसद (सुखझील) सेवा ट्रस्ट, एच-36, प्राईमरी स्कूल के पास एच वार्ड, बैरागढ़, भोपाल, जिला भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 05 नवम्बर, 2014 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के एक माह में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

**अनुसूची**

| | | |
|---|---|---|
| ट्रस्ट का नाम व पता | .. | कार्यालय पता-एच-36, प्राईमरी स्कूल के पास एच वार्ड, बैरागढ़, भोपाल. |
| अचल सम्पत्ति | : | संस्था की प्रारंभिक चल सम्पत्ति निरंक |

**अविनाश कुमार तिवारी,**
रजिस्ट्रार.

(821)

# अन्य सूचनाएं

### कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, अनूपपुर, वनमण्डल

अनूपपुर, दिनांक 15 सितम्बर, 2014

क्र./मा.चि./281.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र, बिजुरी के अंतर्गत बीट चाका श्री सूरज प्रताप सिंह वनरक्षक को परिक्षेत्राधिकारी बिजुरी द्वारा प्रदायित हैमर वनरक्षक, निवास चाका से दिनांक 06 अगस्त, 2014 को रात्रि में ताला तोड़कर पर्सनल सामग्री के साथ मार्किंग हैमर एवं पासिंग हैमर चोरी कर लिया गया है.

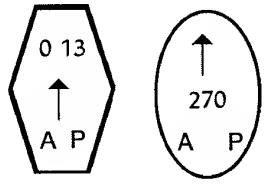

उक्त हैमर किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो उसे थाने अथवा नजदीकी वन कार्यालय में जमा करें. उक्त हैमर अनाधिकृत रूप से उपयोग करते हुये कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-63 के प्रावधान के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा.

**डी. एस. कनेश,**
वनमण्डलाधिकारी.

(797)

## कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र./परि./606, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा संस्था लक्ष्मी महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अतवाईन, पंजीयन क्रमांक 693, दिनांक 31 मार्च, 2011 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री बी. एल. कन्नौजी, उप-अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लक्ष्मी महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अतवाईन, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 693, दिनांक 31 मार्च, 2011 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 07 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**आर. पी. पाल,**
उप-रजिस्ट्रार.

(798)

## कार्यालय सहायक पंजीयक ( अंकेक्षण ) सहकारी संस्थाएं, शहडोल

शहडोल, दिनांक 19 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, जिला शहडोल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्र. | नाम संस्था | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक, दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिन्दुरीभर्री | 1046/17-05-2006 | 611/25-06-2014 |
| 2. | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पोंगरी | 1048/17-05-2006 | 636/26-06-2014 |
| 3. | महिला उद्योग सहकारी समिति मर्या., सोहागपुर | 974/03-11-1999 | 613/25-06-2014 |
| 4. | महिला उद्योगिक सहकारी समिति मर्या., शहडोल | 905/03-02-1996 | 633/26-06-2014 |
| 5. | महिला उद्योग सहकारी समिति मर्या., चुनिया | 1050/29-06-2006 | 621/26-06-2014 |
| 6. | आराधना महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कोटमा | 1014/03-07-2002 | 618/25-06-2014 |
| 7. | उमा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पवेह | 1022/03-02-2003 | 632/26-06-2014 |
| 8. | विन्ध्य साख सहकारी समिति मर्या., शहडोल | 1054/24-04-2007 | 619/25-06-2014 |
| 9. | आर्शिवाद बुनकर सहकारी समिति मर्या., शहडोल | 434/28-08-1993 | 622/26-06-2014 |
| 10. | प्राची ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., शहडोल | 1027/12-03-2003 | 625/26-06-2014 |
| 11. | आकाश ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., शहडोल | 1024/24-02-2003 | 634/26-06-2014 |
| 12. | मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., पचगांव | 697/21-03-1986 | 631/26-06-2014 |
| 13. | विस्थापित मछुआ सहकारी समिति मर्या., सकन्दी | 1035/21-07-2003 | 629/26-06-2014 |
| 14. | माँ भाठिया बीज सहकारी समिति मर्या., बोकरामार | 1060/22-08-2007 | 615/25-06-2014 |

उक्त सहकारी संस्था का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकार्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1960 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी.

**ए. एल. गुप्ता,**
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(799)

---

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत चॉवरपाठा, जिला नरसिंहपुर

चॉवरपाठा, दिनांक 21 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं उपनियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./14-15/01.—सर्व-साधारण को जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के कार्यालयीन आदेशानुसार निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्र. | नाम संस्था | पंजीयन क्रमांक | परिसमा. में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., बघुवार | 402 | 284/26-02-14 |
| 2. | वंशकार सहकारी समिति मर्या., आमगाँव | 602 | 282/26-02-14 |
| 3. | राधारमण महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जोवा | 592 | 281/26-02-14 |
| 4. | ग्राम पंचायत स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रमपुरा | 406 | 285/26-02-14 |

अतः मैं, डी. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत, चॉवरपाठा एवं परिसमापक सहकारिता विभाग, नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (17वाँ) सन् 1961 की धारा-71 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के उप-नियम 1962 के नियम क्र. -57 (सी) के अनुसार सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उपरोक्त परिसमापनाधीन समितियों के विरुद्ध जो भी लेनदारी व बकाया ऋण निकलता हो, मय प्रमाण के अपने दावे यदि कोई हो तो इस सूचना प्रसारण की दो माह की अवधि में मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि के पश्चात् प्रस्तुत दावों पर कोई उजरदारी मान्य नहीं होगी एवं उक्त संस्थाओं के उपलब्ध लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त लेन एवं दायित्वों को उक्त उल्लेखित विधान एवं नियमों के अंतर्गत परिसमापक को प्रस्तुत किया गया ऐसा समझा जायेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त लिखित सहकारी समितियों से संबंधित कोई भी कागजात, सामान, देनदारियाँ आदि किसी भी सदस्य/व्यक्ति के पास हो तो वे इस सूचना प्रकाशित होने की दिनाँक से 15 दिवस के अन्दर उल्लेखित कार्यालय में मेरे पास जमा कर देंवे. समयावधि में कागजात व सामान जमा न करने पर वे स्वयं जुर्म के भागीदार होंगे.

**डी. के. गुप्ता,**
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(800)

---

## कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला छतरपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उपायुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटी, जिला छतरपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

| क्रमांक | समिति का नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बड़ामलहरा | 1078/5-10-05 | परि./13/1492/6-8-13 |

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 18 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

**आर. एन. सिंह यादव,**
परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

(801)

---

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/538.—यह कि अपना महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, बुरहानपुर , पंजीयन क्रमांक....., दिनांक..... को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/221, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कर्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये अपना महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री सी. एस. जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(802)

---

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/539.—यह कि मॉ रेणुका महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहाकरी भण्डार मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 2084,

दिनांक 31 जनवरी, 2008 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/222, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षक करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये मॉ रेणुका महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहाकरी भण्डार मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री सी. एस. जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(802-A)

---

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/540.—यह कि के. जी. एन. प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, बुरहानपुर , पंजीयन क्रमांक 1823, दिनांक 05 फरवरी, 2001 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/223, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये के. जी. एन. प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री सी. एस. जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(802-B)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/541.—यह कि कृष्णा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1928, दिनांक 25 सितम्बर, 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/224, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये कृष्णा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री सी. एस. जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(802-C)

---

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/542.—यह कि आलीया महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, बुरहानपुर , पंजीयन क्रमांक 1954, दिनांक 02 जनवरी, 2006 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/225, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक

26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये आलीया महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री पी. एम. सोनवणे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(802-D)

---

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/543.—यह कि हमिदा डिपार्टमेन्टल स्टोर्स सहकारी संस्था मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1920, दिनांक 30 जून, 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/226, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये हमिदा डिपार्टमेन्टल स्टोर्स सहकारी संस्था मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री सी. एस. जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(802-E)

---

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/544.—यह कि नेपानगर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, नेपानगर, पंजीयन क्रमांक 449, दिनांक 09 मई 1952 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/227, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु

सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये अपना नेपानगर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री सी. एस. जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(802-F)

---

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/545.—यह कि आशादेवी महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, नेपानगर, पंजीयन क्रमांक 2001, दिनांक 05 मार्च, 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/229, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये आशादेवी महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, नेपानगर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री ललित भावसार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(802-G)

---

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/546.—यह कि अष्टविनायक महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, नेपानगर , पंजीयन क्रमांक 2002, दिनांक 25 मार्च, 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/230, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने

का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये अष्टविनायक महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, नेपानगर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री ललित भावसार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(802-H)

---

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/547.—यह कि भारत महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, शाहपुर , पंजीयन क्रमांक 1690, दिनांक 31 मार्च, 1999 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/231, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये भारत महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, शाहपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री पी. एम. सोनवणे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(802-I)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/548.—यह कि सुभाष नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर , पंजीयन क्रमांक 50, दिनांक 20 जून, 1978 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/233, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये सुभाष नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री ललित भावसार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(802-J)

---

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/549.—यह कि विजय नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर , पंजीयन क्रमांक 2007, दिनांक..... को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/234, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई,

1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये विजय नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री ललित भावसार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(802-K)

---

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/551.—यह कि आजाद नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1271, दिनांक 01 फरवरी, 1981 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/236, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये आजाद नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री ललित भावसार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(802-L)

---

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/552.—यह कि श्रीनगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक1444, दिनांक 30 जून, 1987 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/237, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु

सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये श्रीनगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री ललित भावसार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(802-M)

---

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/553.—यह कि नारायण नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर , पंजीयन क्रमांक1319, दिनांक..... को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/238, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये नारायण नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री ललित भावसार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(802-N)

---

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/554.—यह कि चन्द्रावती गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1319, दिनांक..... को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/239, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये

वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये चन्द्रावती गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री ललित भावसार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(802-O)

---

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/555.---यह कि प्रगति गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर , पंजीयन क्रमांक 1366, दिनांक 10 दिसम्बर, 1985 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/240, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये प्रगति गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री पी. एम. सोनवणे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(802-P)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/556.—यह कि प्रशंसा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, नेपानगर , पंजीयन क्रमांक 1646, दिनांक 08 जुलाई, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/228, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये प्रशंसा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, नेपानगर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री दिनेश गुप्ता, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(802-Q)

---

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/557.—यह कि न्यू आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर , पंजीयन क्रमांक 38, दिनांक 19 मई, 1972 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/244, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा

प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये न्यू आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री सी. एस. जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(802-R)

---

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/558.—यह कि अम्बिका एग्रीकल्चर सर्विस सहकारी समिति मर्यादित, शाहपुर, पंजीयन क्रमांक 1462, दिनांक 29 मई, 1992 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/245, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये अम्बिका एग्रीकल्चर सर्विस सहकारी समिति मर्यादित, शाहपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री पी. एम. सोनवणे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(802-S)

---

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/559.—यह कि फसल संरक्षण सहकारी समिति मर्यादित, डाभियाखेडा, पंजीयन क्रमांक 1216, दिनांक 09 अक्टूबर, 1980 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/246, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये फसल संरक्षण सहकारी समिति मर्यादित, डाभियाखेडा को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री पी. एम. सोनवणे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(802-T)

---

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/560.—यह कि चैतन्य फसल संरक्षण सहकारी समिति मर्यादित, उताम्बी, पंजीयन क्रमांक 2016, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/247, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये चैतन्य फसल संरक्षण सहकारी समिति मर्यादित, उताम्बी को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री विवेक पिम्पलीकर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(802-U)

---

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/561.—यह कि श्री मनुदेवी केला टिश्यू उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, चापोरा, पंजीयन क्रमांक 19, दिनांक 03 सितम्बर, 2012 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/248, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध

के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये श्री मनुदेवी केला टिश्यू उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, चापोरा, को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री विवेक पिम्पलीकर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(802-V)

---

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/562.—यह कि गणेश केला टिश्यू उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, शाहपुर, पंजीयन क्रमांक 20, दिनांक 28 सितम्बर, 2012 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/249, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये गणेश केला टिश्यू उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, शाहपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री विवेक पिम्पलीकर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(802-W)

---

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/563.—यह कि अमर कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर , पंजीयन क्रमांक 1415, दिनांक 11 जनवरी, 1993 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/250,

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये अमर कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री विवेक पिम्पलीकर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(802-X)

---

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/564.—यह कि राधेकृष्ण पशुपालन सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर , पंजीयन क्रमांक 1672, दिनांक 25 जुलाई, 1998 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/251, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये राधेकृष्ण पशुपालन सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री विवेक पिम्पलीकर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(802-Y)

बुरहानपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/565.—यह कि सिटीजन कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर , पंजीयन क्रमांक 1769, दिनांक 03 जुलाई, 2000 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2014/252, बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014 के द्वारा जारी कर संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा में अधिकृति का प्रावधान किया जाने पर आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संस्था को बार-बार लेख करने के उपरांत भी वर्ष 2012-2013 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाने से एवं अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो अनुपालन करना बन्द कर दिया जाने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा जाकर 30 दिवस के अन्दर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये. साथ ही संपरीक्षा हेतु आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया. जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करने में उपेक्षावान है/सहमत नहीं है.

इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये सिटीजन कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्यादित, बुरहानपुर को परिसमापन में लाया जाता है तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री विवेक पिम्पलीकर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**जे. एल. बरडे,**
उप-पंजीयक.

(802-Z)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42 ] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2014-आश्विन 25, शके 1936


## भाग 3 ( 2 )

### सांख्यिकीय सूचनाएं

### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

**मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 18 जून, 2014**

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छदित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा होना पाया गया है.—

**( अ ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.**—तहसील श्योपुर (श्योपुर), ग्वालियर, डबरा, भितरवार (ग्वालियर), शिवपुरी (शिवपुरी), बमोरी, कुंभराज (गुना), राजनगर, बिजावर, बक्स्वाहा (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, शाहनगर (पन्ना), खुरई (सागर), सोहागपुर, जैसिंहनगर, बुढार, जैतपुर (शहडोल), अनूपपुर (अनूपपुर), मझौली, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), बड़नगर, नागदा (उज्जैन), जोबट, अलीराजपुर, कट्टीबाड़ा, उदयगढ़, च. शेखर आजाद नगर, (अलीराजपुर), धार, कुक्षी, धरमपुरी, डही (धार), बड़वानी, निवाली (बड़वानी), खण्डवा, हरसूद (खण्डवा), बुरहानपुर (बुरहानपुर), बासोदा, विदिशा, गुलाबगंज (विदिशा), रायसेन, गोहरगंज, (रायसेन), भैंसदेही, चिचोली, आमला, (बैतूल), होशंगाबाद, इटारसी, वनखेड़ी (होशंगाबाद), रीठी, विजयराघवगढ़ (कटनी), निवास नैनपुर (मण्डला), डिण्डोरी (डिण्डोरी), जुन्नारदेव, तामिया, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), लांजी, वारासिवनी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

**( ब ) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.**—तहसील कराहल (श्योपुर), कोलारस (शिवपुरी), जतारा, टीकमगढ़, ओरछा (टीकमगढ़), लवकुशनगर, गौरीहार, नौगांव, छतरपुर (छतरपुर), गुन्नौर (पन्ना), रहली, गढ़ाकोटा, राहतगढ़, मालथोन, शाहगढ़ (सागर), ब्यौहारी, गोहपारू (शहडोल), कोतमा (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली (उमरिया), सिंहावल, कुसमी (सीधी), तराना (उज्जैन), सोण्डवा (अलीराजपुर), राजपुर (बड़वानी), खकनार (बुरहानपुर), सिरोंज, नटेरन, ग्यारसपुर (विदिशा), हुजूर (भोपाल), बरेली (रायसेन), बैतूल (बैतूल), बावई, सोहागपुर, पिपरिया (होशंगाबाद), सीहोरा, कुन्डमपुर (जबलपुर), कटनी, बरही (कटनी), मण्डला, नारायणगंज (मण्डला), शाहपुरा (डिण्डोरी), परासिया, सौंसर (छिन्दवाड़ा), बरघाट, घनोरा (सिवनी), बालाघाट (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

**( स ) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.**—तहसील गुना (गुना), खुरई, देवरी (सागर), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), मानपुर (उमरिया), घटिया, उज्जैन (उज्जैन), बदनावर, सरदारपुर, मनावर, गंधवानी (धार), ठीकरी, पानसेमल, पाटी (बड़वानी), कुरवाई, लटेरी (विदिशा), बैरसिया (भोपाल), बाड़ी (रायसेन), मुल्ताई, आठनेर (बैतूल), पचमढ़ी (होशंगाबाद), पाटन, मझौली (जबलपुर), विछिया, घुघरी (मण्डला), छिन्दवाड़ा, पांढुर्ना, अमरवाड़ा, बिछुआ (छिन्दवाड़ा), लखनादौन, कुरई, छपारा (सिवनी), कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

**( ड ) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.**—तहसील राघोगढ़, आरोन, चांचोड़ा (गुना), पवई (पन्ना), बीना, सागर, केसली (सागर), गोपदबनास (सीधी), महिदपुर, नेपानगर (बुरहानपुर), गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी, उदयपुरा (रायसेन), घोड़ाडोंगरी (बैतूल), जबलपुर (जबलपुर), बहोरीबंद, बड़वारा (कटनी), चौरई (छिन्दवाड़ा), सिवनी, घन्सौर (सिवनी), बैहर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, मंदसौर, धार, खरगौन, बड़वानी, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर, कटनी, डिण्डोरी, छिन्दवाड़ा एवं सिवनी में खरीफ फसल की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला डिण्डोरी में फसल मक्का व अनूपपुर में धान, मक्का एवं सागर, छिन्दवाड़ा में खरीफ फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**— . .

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, शहडोल, भोपाल, बैतूल, छिन्दवाड़ा में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

**मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 18 जून, 2014**

| जिला/तहसीलें | 1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक. | 2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. | 3: अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत. | 5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति. | 7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **जिला मुरैना :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. अम्बाह | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पोरसा | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मुरैना | . . | | | | |
| 4. जौरा | . . | | | | |
| 5. सबलगढ़ | . . | | | | |
| 6. कैलारस | . . | | | | |
| **जिला श्योपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. श्योपुर | 8.0 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. कराहल | 21.0 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. विजयपुर | . . | | | | |
| ***जिला भिण्ड :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. अटेर | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. भिण्ड | . . | | (2) . . | | |
| 3. गोहद | . . | | | | |
| 4. मेहगांव | . . | | | | |
| 5. लहार | . . | | | | |
| 6. मिहोना | . . | | | | |
| 7. रौन | . . | | | | |
| **जिला ग्वालियर :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. . . |
| 1. ग्वालियर | 11.5 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. डबरा | 15.1 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. भितरवार | 9.2 | | | | |
| 4. घाटीगांव | . . | | | | |
| **जिला दतिया :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सेवढ़ा | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. दतिया | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. भाण्डेर | . . | | | | |
| **जिला शिवपुरी :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. शिवपुरी | 7.0 | | 4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पिछोर | . . | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. खनियाधाना | . . | | | | |
| 4. नरवर | . . | | | | |
| 5. करैरा | . . | | | | |
| 6. कोलारस | 19.0 | | | | |
| 7. पोहरी | . . | | | | |
| 8. बदरवास | . . | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***जिला अशोकनगर:** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. मुंगावली | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. ईसागढ़ | . . | | (2) . . | | |
| 3. अशोकनगर | . . | | | | |
| 4. चन्देरी | . . | | | | |
| 5. शाढौरा | . . | | | | |
| **जिला गुना :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. गुना | 35.3 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. . . |
| 2. राघोगढ़ | 73.0 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. बमोरी | 11.0 | | | | |
| 4. आरोन | 55.0 | | | | |
| 5. चाचौड़ा | 77.0 | | | | |
| 6. कुम्भराज | 8.0 | | | | |
| **जिला टीकमगढ़:** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. निवाड़ी | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पृथ्वीपुर | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. जतारा | 28.0 | | | | |
| 4. टीकमगढ़ | 24.0 | | | | |
| 5. बल्देवगढ़ | . . | | | | |
| 6. पलेरा | . . | | | | |
| 7. ओरछा | 33.0 | | | | |
| **जिला छतरपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. लवकुशनगर | 22.0 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. गौरीहार | 19.0 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. नौगांव | 27.2 | | | | |
| 4. छतरपुर | 18.0 | | | | |
| 5. राजनगर | 7.8 | | | | |
| 6. बिजावर | 2.0 | | | | |
| 7. बड़ामलहरा | . . | | | | |
| 8. बकस्वाहा | 5.5 | | | | |
| **जिला पन्ना :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. अजयगढ़ | 12.2 | | 4. (1) मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, चना, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पन्ना | 4.0 | | अलसी, मसूर, मटर, आलू, प्याज | चारा पर्याप्त. | |
| 3. गुन्नौर | 23.0 | | अधिक. | | |
| 4. पवई | 58.0 | | धान, ज्वार, बाजरा, मूँग, तिल, | | |
| 5. शाहनगर | 8.3 | | गेहूँ, जौ कम. | | |
| | | | (2) . . | | |
| **जिला सागर :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का कार्य | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बीना | 55.0 | चालू है. | 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. खुरई | 16.4 | | राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज | चारा पर्याप्त. | |
| 3. बण्डा | 41.0 | | समान. | | |
| 4. सागर | 75.3 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 5. रेहली | 25.2 | | | | |
| 6. देवरी | 40.0 | | | | |
| 7. गढ़ाकोटा | 32.6 | | | | |
| 8. राहतगढ़ | 22.5 | | | | |
| 9. केसली | 68.0 | | | | |
| 10. मालथोन | 24.4 | | | | |
| 11. शाहगढ़ | 33.0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला दमोह :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. हटा | . . | | 4. (1) उड़द, मूंग, गन्ना समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. बटियागढ़ | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. दमोह | . . | | | | |
| 4. पथरिया | . . | | | | |
| 5. जवेरा | . . | | | | |
| 6. तेन्दूखेड़ा | . . | | | | |
| 7. पटेरा | . . | | | | |
| ***जिला सतना :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. रघुराजनगर | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. मझगवां | . . | | (2) . . | | |
| 3. रामपुर-बघेलान | . . | | | | |
| 4. नागौद | . . | | | | |
| 5. उचेहरा | . . | | | | |
| 6. अमरपाटन | . . | | | | |
| 7. रामनगर | . . | | | | |
| 8. मैहर | . . | | | | |
| 9. बिरसिंहपुर | . . | | | | |
| **जिला रीवा :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. त्यौंथर | . . | | 4. (1) गेहूँ अधिक. चना, मसूर, अलसी, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिरमौर | . . | | कम. अरहर, जौ समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मऊगंज | . . | | (2) . . | | |
| 4. हनुमना | . . | | | | |
| 5. हजूर | . . | | | | |
| 6. गुढ़ | . . | | | | |
| 7. रायपुरकर्चुलियान | . . | | | | |
| 8. नई गढ़ी | . . | | | | |
| **जिला शहडोल :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सोहागपुर | 5.0 | | 4. (1) गेहूँ, मसूर, मटर, चना, राई-सरसों, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. ब्यौहारी | 24.0 | | तिवड़ा कम. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. गोहपारू | 24.0 | | (2) . . | | |
| 4. जैसिंहनगर | 8.0 | | | | |
| 5. बुढ़ार | 14.2 | | | | |
| 6. जैतपुर | 15.0 | | | | |
| **जिला अनूपपुर :** | मिलीमीटर | 2. धान, मक्का की बोनी का | 3. कोई घटना नहीं. | 5. . . | 7. पर्याप्त. |
| 1. जैतहरी | . . | कार्य चालू है. | 4. (1) धान, मक्का कम. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. अनूपपुर | 8.2 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. कोतमा | 28.9 | | | | |
| 4. पुष्पराजगढ़ | 36.7 | | | | |
| **जिला उमरिया :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. . . | 7. . . |
| 1. बांधवगढ़ | 33.4 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पाली | 25.0 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मानपुर | 43.0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला सीधी :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. गोपदवनास | 56.8 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. . . |
| 2. सिंहावल | 22.0 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मझौली | 11.1 | | | | |
| 4. कुसमी | 30.0 | | | | |
| 5. चुरहट | 2.0 | | | | |
| 6. रामपुरनैकिन | 11.3 | | | | |
| **जिला सिंगरौली :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. . . | 7. . . |
| 1. चितरंगी | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. देवसर | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. सिंगरौली | . . | | | | |
| **जिला मन्दसौर :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. . . | 7. पर्याप्त. |
| 1. सुवासरा-टप्पा | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. भानपुरा | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मल्हारगढ़ | . . | | | | |
| 4. गरोठ | . . | | | | |
| 5. मन्दसौर | . . | | | | |
| 6. शामगढ़ | . . | | | | |
| 7. सीतामऊ | . . | | | | |
| 8. धुन्धड़का | . . | | | | |
| 9. संजीत | . . | | | | |
| 10.कयामपुर | . . | | | | |
| **जिला नीमच :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जावद | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. नीमच | . . | | मसूर, मटर कम. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मनासा | . . | | (2) . . | | |
| **जिला रतलाम :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जावरा | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. आलोट | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. सैलाना | . . | | | | |
| 4. बाजना | . . | | | | |
| 5. पिपलौदा | . . | | | | |
| 6. रतलाम | . . | | | | |
| **जिला उज्जैन :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. . . | 7. पर्याप्त. |
| 1. खाचरौद | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. महिदपुर | 61.0 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. तराना | 34.0 | | | | |
| 4. घटिया | 40.0 | | | | |
| 5. उज्जैन | 36.0 | | | | |
| 6. बड़नगर | 16.0 | | | | |
| 7. नागदा | 10.0 | | | | |
| ***जिला आगर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. बड़ौद | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. सुसनेर | . . | | (2) . . | | |
| 3. नलखेड़ा | . . | | | | |
| 4. आगर | . . | | | | |
| **जिला शाजापुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. मो. बड़ोदिया | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. शाजापुर | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. शुजालपुर | . . | | | | |
| 4. कालापीपल | . . | | | | |
| 5. गुलाना | . . | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला देवास :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सोनकच्छ | . . | | 4. (1) चना, अलसी, राई-सरसों अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. टोंकखुर्द | . . | | गेहूं, मसूर, जौ कम. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. देवास | . . | | (2) . . | | |
| 4. पागली | . . | | | | |
| 5. कन्नौद | . . | | | | |
| 6. खातेगांव | . . | | | | |
| **जिला झाबुआ :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. . . | 7. पर्याप्त |
| 1. थांदला | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. मेघनगर | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. पेटलावद | . . | | | | |
| 4. झाबुआ | . . | | | | |
| 5. राणापुर | . . | | | | |
| **जिला अलीराजपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जोवट | 2.0 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त |
| 2. अलीराजपुर | 3.2 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. कट्टीवाड़ा | 5.0 | | | | |
| 4. सोण्डवा | 27.0 | | | | |
| 5. उदयगढ़ | 2.0 | | | | |
| 6. च.शे.आ. नगर | 13.0 | | | | |
| **जिला धार :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. बदनावर | 35.6 | | 4. (1) गेहूं, चना, गन्ना अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सरदारपुर | 38.0 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. धार | 9.8 | | | | |
| 4. कुक्षी | 12.3 | | | | |
| 5. मनावर | 45.0 | | | | |
| 6. धरमपुरी | 14.0 | | | | |
| 7. गंधवानी | 45.0 | | | | |
| 8. डही | 5.0 | | | | |
| **जिला इन्दौर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. देपालपुर | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सांवेर | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. इन्दौर | . . | | | | |
| 4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर) | . . | | | | |
| **जिला खरगौन :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बड़वाह | . . | | 4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. महेश्वर | . . | | मूँगफली, तुवर, गेहूँ, चना, अलसी, | चारा पर्याप्त. | |
| 3. सेगांव | . . | | राई-सरसों समान. | | |
| 4. खरगौन | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 5. गोगावां | . . | | | | |
| 6. कसरावद | . . | | | | |
| 7. भगवानपुरा | . . | | | | |
| 8. भीकनगांव | . . | | | | |
| 9. झिरन्या | . . | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला बड़वानी :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बड़वानी | 8.6 | | 4. (1) गन्ना अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. ठीकरी | 49.0 | | (2) उपरोक्त फसल समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. राजपुर | 34.0 | | | | |
| 4. सेंधवा | . . | | | | |
| 5. पानसेमल | 48.0 | | | | |
| 6. अजड़ | . . | | | | |
| 7. पाटी | 39.0 | | | | |
| 8. वरला | . . | | | | |
| 9. निवाली | 1.0 | | | | |
| **जिला खण्डवा :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. खण्डवा | 12.0 | | 4. (1) गेहूँ, चना सुधरी हुईं. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पंधाना | . . | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. हरसूद | 13.0 | | | | |
| **जिला बुरहानपुर :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बुरहानपुर | 1.2 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. खकनार | 17.8 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. नेपानगर | 127.0 | | | | |
| **जिला राजगढ़ :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जीरापुर | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर गन्ना समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. खिलचीपुर | . . | | | चारा पर्याप्त. | |
| 3. राजगढ़ | . . | | (2) . . | | |
| 4. ब्यावरा | . . | | | | |
| 5. सारंगपुर | . . | | | | |
| 6. पचोर | . . | | | | |
| 7. नरसिंहगढ़ | . . | | | | |
| **जिला विदिशा :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. लटेरी | 48.0 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिरोंज | 22.0 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. कुरवाई | 49.8 | | | | |
| 4. बासौदा | 13.4 | | | | |
| 5. नटेरन | 26.0 | | | | |
| 6. विदिशा | 16.5 | | | | |
| 7. गुलाबगंज | 2.0 | | | | |
| 8. ग्यारसपुर | 33.0 | | | | |
| **जिला भोपाल :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बैरसिया | 40.8 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. हुजूर | 18.0 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| **जिला सीहोर :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. सीहोर | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. आष्टा | . . | | (2) . . | . . | |
| 3. इछावर | . . | | | | |
| 4. नसरुल्लागंज | . . | | | | |
| 5. बुधनी | . . | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला रायसेन :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. पर्याप्त. |
| 1. रायसेन | 17.0 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. गैरतगंज | 93.6 | | (2) . . | . . | |
| 3. बेगमगंज | 97.0 | | | | |
| 4. गोहरगंज | 5.0 | | | | |
| 5. बरेली | 21.0 | | | | |
| 6. सिलवानी | 70.0 | | | | |
| 7. बाड़ी | 40.0 | | | | |
| 8. उदयपुरा | 118.0 | | | | |
| **जिला बैतूल :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त | 7. पर्याप्त. |
| 1. भैसदेही | 9.8 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. घोड़ाडोंगरी | 60.0 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. शाहपुर | . . | | | | |
| 4. चिचोली | 8.1 | | | | |
| 5. बैतूल | 25.0 | | | | |
| 6. मुलताई | 48.0 | | | | |
| 7. आठनेर | 36.6 | | | | |
| 8. आमला | 14.0 | | | | |
| **जिला होशंगाबाद :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सिवनी-मालवा | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. होशंगाबाद | 5.0 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. बाबई | 23.0 | | | | |
| 4. इटारसी | 12.0 | | | | |
| 5. सोहागपुर | 27.0 | | | | |
| 6. पिपरिया | 25.0 | | | | |
| 7. वनखेड़ी | 13.8 | | | | |
| 8. पचमढ़ी | 35.4 | | | | |
| **जिला हरदा :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. . . | 7. पर्याप्त. |
| 1. हरदा | . . | | 4. (1) गेहूँ बिगड़ी हुई. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. खिड़किया | . . | | (2) उपरोक्त फासल समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. टिमरनी | . . | | | | |
| **जिला जबलपुर :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. . . | 7. पर्याप्त. |
| 1. सीहोरा | 30.8 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पाटन | 36.8 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. जबलपुर | 124.1 | | | | |
| 4. मझौली | 48.3 | | | | |
| 5. कुण्डम | 26.0 | | | | |
| **जिला कटनी :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. कटनी | 22.8 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. रीठी | 17.0 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. विजयराघवगढ़ | 8.0 | | | | |
| 4. बहोरीबंद | 55.0 | | | | |
| 5. ढीमरखेड़ा | . . | | | | |
| 6. बड़वारा | 56.0 | | | | |
| 7. बरही | 33.0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला नरसिंहपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. गाडरवारा | . . | | 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, गेहूँ, मसूर, मटर, चना. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. करेली | . . | | | | |
| 3. नरसिंहपुर | . . | | | | |
| 4. गोटेगांव | . . | | (2) . . | | |
| 5. तेन्दूखेड़ा | . . | | | | |
| **जिला मण्डला :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. निवास | 8.8 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. बिछिया | 48.2 | | (2) . . | | |
| 3. नैनपुर | 13.0 | | | | |
| 4. मण्डला | 20.2 | | | | |
| 5. घुघरी | 42.7 | | | | |
| 6. नारायणगंज | 27.1 | | | | |
| **जिला डिण्डोरी :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं मक्का की बोनी का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. . . | 7. पर्याप्त. |
| 1. डिण्डोरी | 7.0 | | 4. (1) तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. शाहपुरा | 19.5 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| **जिला छिन्दवाड़ा :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. छिन्दवाड़ा | 40.4 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. जुन्नारदेव | 4.4 | | (2) . . | | |
| 3. परासिया | 20.0 | | | | |
| 4. जामई (तामिया) | 8.5 | | | | |
| 5. सोंसर | 26.2 | | | | |
| 6. पांढुर्णा | 52.2 | | | | |
| 7. अमरवाड़ा | 49.6 | | | | |
| 8. चौरई | 87.4 | | | | |
| 9. बिछुआ | 48.7 | | | | |
| 10. हर्रई | . . | | | | |
| 11. मोहखेड़ा | 11.4 | | | | |
| **जिला सिवनी :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सिवनी | 54.0 | | 4. (1) धान, मक्का, मूँग, उड़द, मूँगफली अधिक. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. कैवलारी | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 3. लखनादौन | 41.7 | | | | |
| 4. बरघाट | 28.7 | | | | |
| 5. कुरई | 50.0 | | | | |
| 6. घंसौर | 56.0 | | | | |
| 7. धनोरा | 21.0 | | | | |
| 8. छपारा | 38.1 | | | | |
| **जिला बालाघाट :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बालाघाट | 18.4 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. लाँजी | 15.2 | | (2) . . | | |
| 3. बैहर | 61.0 | | | | |
| 4. वारासिवनी | 10.5 | | | | |
| 5. कटंगी | 37.3 | | | | |
| 6. किरनापुर | . . | | | | |

**टीप.**— *जिला भिण्ड, अशोकनगर, सतना, आगर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

**राजीव रंजन,**
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(796)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.